फारम सं0-563

आदेश कार्यवाही टिप्पणी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) बासुदेव रविदास, (2.) विनोद रविदास दोनों के पिता स्व0 मदुक रविदास एवं (3.) पिंकी कुमारी पति स्व0 संतोष रविदास, निवास स्थान ग्राम-बंझिया, पोस्ट-कटकमसांडी, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना संख्या-162, खाता संख्या-25 प्लॉट संख्या-617 रकवा 0.0466 एकड़ (4.66 डिसमिल) (चार दशमलव छःछः डिसमिल) भूमि कविता कुमारी पिता धानकी रविदास पति गेन्दो रविदास, निवास स्थान ग्राम-गदोखर, पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-635/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3398/रा0 दिनांक 08.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1399 दिनांक 20.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत तुलसी मिस्त्री वगै0 हैं। केवाला में खरीदगी कुल रकवा 0.07 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.07 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-136/IX पर वासुदेव रविदास वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2015-16 तक निर्गत् है। आवेदक संख्या-01 एवं 02 स्वयं जमाबंदी रैयत हैं एवं आवेदिका संख्या-03 के पति जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदकगण की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 2.34 डी0 भूमि बचता विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाइ टिप्पणी त
1	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) बासुदेव रविदास, (2.) विनोद रविदास दोनों के पिता स्व0 मटुक रविदास एवं (3.) पिंकी कुमारी पति स्व0 संतोष रविदास, निवास स्थान ग्राम-बंझिया, पोस्ट-कटकमसांडी, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना संख्या-162, खाता संख्या-25 प्लॉट संख्या-617 रकवा 0.0466 एकड़ (4.66 डिसमिल) (चार दशमलव छःछः डिसमिल) भूमि कविता कुमारी पिता धानकी रविदास पति गेन्दो रविदास, निवास स्थान ग्राम-गदोखर, पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 10/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

(हस्ताक्षर) 10/23

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.10.09 11:30:08 +05:30
Location: 192.168.0.106